न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 222/2014

वादी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. पूसदान पुत्र हरलालदान
जातियान-राव, निवासी-लाम्बिया,
तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

1. तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.11.11.2014

उपस्थित:- 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादी।

-:: निर्णय ::- **दिनॉक:- 15/07/2015**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-गांगलिया, पटवार हल्का-लाम्बिया, तहसील-जैतारण में वादी एवं उनके भाई की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 85/1 रकबा 3-08 बीघा व ख0नं0 87 रकबा 13-14 बीघा, कुल खसरा दो कुल क्षेत्रफल 17-02 बीघा किस्म बारानी दोयम आयी हुई हैं। उक्त कृषि भूमि में वादी माफिक हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त करता हैं। उक्त कृषि भूमि के अन्य खातेदार भाई नोरत के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं होने से वाद में पक्षकार नही बनाया हैं। नकल जमाबंदी संवत 2062 से 2065 की पेश की हैं। सरहद मौजा-लाम्बिया, पटवार हल्का-लाम्बिया में वादी एवं अन्य खातेदारन की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 976/4 रकबा 8 बीघा किस्म चाही चारम की आई हुई हैं। उक्त वादी एवं उसके भाई नोरत का 1/8 हिस्सा हैं तथा अन्य हिस्सा अन्य खातेदारान का है। माफिक हिस्सेनुसार वादी अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में काश्त करता हैं। अन्य खातेदार के विरूद्ध कोई अनुतोष नही होने से वाद में पक्षकार नही बनाया गया हैं। नकल जमाबन्दी संवत 2065 से 2068 की पेश की हैं। वादी के पिता हरलाल की मृत्यु होने पर तत्कालीन रेवेन्यू एजेन्सी व सरपंच ग्राम पंचायत-लाम्बिया ने उक्त कृषि भूमि का फौतेदगी म्यूटेशन भरते समय वादी के घर तथा गांव में बोलतें नाम बगदा का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया गया। जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम पूसदान हैं, जो भारत सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र व राज्य सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड संरपच ग्राम पंचायत-लाम्बिया द्वारा वादी के सही नाम के प्रमाण-पत्र में भी सही नाम पूसदान दर्ज हैं। वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में बगदा होने से वादी को बैक से ऋण व अन्य सरकार द्वारा जारी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होना पडता हैं। वादी ने अपना सही नाम पूसदान उक्त कृषि भूमि में दर्ज करवाने बाबत प्रतिवादी के कार्यालय में दिनांक 11/09/2014 को तो उन्होंने समक्ष न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु कहा तब वादी ने उक्त वाद घोषणा का विरूद्ध प्रतिवादी के पेश किया हैं। बिनायवाद दिनांक 11/09/2014 को वादी ने प्रतिवादी के कार्यालय मे अपना सही

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

नाम पूसदान दर्ज करवाने का कहने पर प्रतिवादी द्वारा समक्ष न्यायालय से आदेश लाने बाबत कहने पर बमुकाम–लाम्बिया एवं जैतारण में पैदा हुआ, जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में हैं।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–लाम्बिया में पेश हुई। तहसीलदार, जैतारण ने रिपोर्ट / जबाब पेश किया, सा0मि0 हैं। तहसीलदार, जैतारण ने जाहिर किया हैं कि बगदा नाम गलत इन्द्राज किया गया हैं। उक्त विवादित आराजी की भूमि में वादी का नाम बगदा पुत्र हरलाल दर्ज गलत नाम के स्थान पर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी का वास्तविक नाम पूसदान पुत्र हरलालदान दुरूस्त दर्ज किये जाने की स्वीकारोक्ति दी हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा मजमा–ए–आम लोक अदालत शिविर–लाम्बिया में जानकारी भी प्राप्त की गई। दस्तावेजात अनुसार बगदा गलत रूप से दर्ज होना तथा वादी का वास्तविक नाम पूसदान पुत्र हरलालदान होना बखूबी साबित हैं। जिससे वादी का वाद माफिक तहसीलदार, जैतारण की रिपोर्ट / साक्ष्य सबूत के अनुसार वाद स्वीकार किया जाना तथा वादी के गलत दर्ज नाम बगदा जाति–राव, निवासी–लाम्बिया के स्थान पर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वास्तविक सही नाम पूसदान पुत्र हरलालदान दुरूस्त करवाया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक तहसीलदार, जैतारण की रिपोर्ट एवं दस्तावेजात अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–गांगलिया, पटवार हल्का–लाम्बिया, तहसील–जैतारण में वादी एवं उनके भाई की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 85/1 रकबा 3–08 बीघा व ख0नं0 87 रकबा 13–14 बीघा, कुल खसरा दो कुल क्षेत्रफल 17–02 बीघा किस्म बारानी दोयम एवं सरहद मौजा–लाम्बिया, पटवार हल्का–लाम्बिया में कृषि भूमि खसरा नम्बर 976/4 रकबा 8 बीघा किस्म चाही चारम की भूमि में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के गलत दर्ज नाम बगदा पुत्र हरलाल के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम पूसदान पुत्र हरलालदान दुरूस्त रूप से दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 15/07/2015 को आयोजित लोक अदालत / केम्प कोर्ट 2015 शिविर अटल सेवा केन्द्र लाम्बिया में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा , आर०ए०एस०

वादी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. पूसदान पुत्र हरलालदान
जातियान-राव, निवासी-लाम्बिया,
तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

1. तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

मु०नं० :रा०वा० स०: 222/2014

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-....... व हाजरी श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजीनामा तस्दीक सुदा एवं दस्तावेजात अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-गांगलिया, पटवार हल्का-लाम्बिया, तहसील-जैतारण में वादी एवं उनके भाई की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 85/1 रकबा 3-08 बीघा व ख०नं० 87 रकबा 13-14 बीघा, कुल खसरा दो कुल क्षेत्रफल 17-02 बीघा किस्म बारानी दोयम एवं सरहद मौजा-लाम्बिया, पटवार हल्का--लाम्बिया में कृषि भूमि खसरा नम्बर 976/4 रकबा 8 बीघा किस्म चाही चारम की भूमि में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के गलत दर्ज नाम बगदा पुत्र हरलाल के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम पूसदान पुत्र हरलालदान दुरूस्त रूप से दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल सेवा केन्द्र लाम्बिया में आज तारीख 15/07/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	01-00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	04-00	महनताना वकील	/
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	02-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/	मुतफरिक	
मिजानः-	08-00	मिजानः-	

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner